UPLK010117352025

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार अधिनियम), सी०बी०आई० लखनऊ, कोर्ट सं०–3

पीठासीन अधिकारी– (SMT MADHU DOGRA), (उ०प्र० न्यायिक सेवा) – UP01708

सी०बी०आई० बनाम जयनाथ सरोज व अन्य

दिनांक – 07/08/2026

1. पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त जयनाथ सरोज के विरुद्ध धारा– 120–B, 420, 467, 468, 471, 409 भा०दं०सं० तथा धारा–13(2) सपठित धारा–13(1)(a) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित अधिनियम 2018), अभियुक्तगण दीपक वर्मा व अनुराग सचान के विरुद्ध धारा– 120–B सपठित धारा–420, 467, 468, 471, 409 भा०दं०सं० तथा धारा–13(2) सपठित धारा–13(1)(a) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित अधिनियम 2018) तथा अभियुक्त जय प्रकाश के विरुद्ध धारा– 120–B सपठित धारा–409 भा०दं०सं० तथा धारा–13(2) सपठित धारा–13(1)(a) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित अधिनियम 2018) के अंतर्गत संज्ञान के बिन्दु पर सी0 बी0 आई 0 के वरिष्ठ अभियोजक को सुना एवं आरोप–पत्र, साक्षियों के बयान एवं समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

2. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त जयनाथ सरोज के विरुद्ध धारा– 120–B, 420, 467, 468, 471, 409 भा०दं०सं० तथा धारा–13(2) सपठित धारा–13(1)(a) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित अधिनियम 2018), अभियुक्तगण दीपक वर्मा व अनुराग सचान के विरुद्ध धारा– 120–B सपठित धारा–420, 467, 468, 471, 409 भा०दं०सं० तथा धारा–13(2) सपठित धारा–13(1)(a) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित अधिनियम 2018) तथा अभियुक्त जय प्रकाश के विरुद्ध धारा– 120–B सपठित धारा–409 भा०दं०सं० तथा धारा–13(2) सपठित धारा–13(1)(a) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित अधिनियम 2018), थानाःसीबीआई/एसीबी, लखनऊ में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. इस प्रकरण में एफ.आई.आर. आर.सी. 0062024 ए 0026 भा०दं०सं० की धारा 406, 409, 419, 420, 467, 468, 471, 120–B, 34 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (संशोधित 2008) की धारा 66 सी के तहत सीबीआई, एसीबी, लखनऊ में दिनांक 26.09.2024 को अभियुक्त जयनाथ सरोज और अज्ञात लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों के विरुद्ध इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच द्वारा रिट याचिका संख्या 5409/2024 मिथिलेश कुमार तिवारी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य में दिनांक 17.09.2024 को पारित आदेश के अनुपालन में दर्ज की गई है। तदनुसार, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के लीलापुर थाना क्षेत्र में दर्ज अपराध संख्या 118/2024, 0229/2024, 0264/2024, 0265/2024, 0266/2024 और 0267/2024 (सभी) की आगे की जांच सीबीआई, एसीबी, लखनऊ द्वारा आरसी 0062024 ए 0026 दिनांक 26.09.2024 के माध्यम से शुरू

की गई थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ द्वारा रिट याचिका संख्या (आपराधिक) 7733/2024 में दिनांक 16.10.2024 को पारित आदेश के अनुपालन में धारा 420, 406, 120–बी भारतीय दंड संहिता और 66–सी सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधित) अधिनियम, 2008 के तहत एफआईआर संख्या 289/2024 और धारा 420, 406, 120–बी भारतीय दंड संहिता और 66–सी सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधित) अधिनियम, 2008 के तहत एफआईआर संख्या 290/2024, दोनों लीलापुर पुलिस स्टेशन, जिला प्रतापगढ़ में पंजीकृत, की जांच को भी सीबीआई को इस नियमित मामले, अर्थात् आरसी0062024ए0026 में स्थानांतरित कर दिया गया। उक्त रिट याचिका (7733 ऑफ 2024) श्री विजय कुमार पाठक और मोहम्मद आसफाक द्वारा दायर की गई है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ द्वारा रिट याचिका संख्या (आपराधिक) 7603/2024 में दिनांक 16.10.2024 को पारित आदेश के अनुपालन में, आपराधिक मामले संख्या 1016/2024 (दिनेश कुमार पांडे द्वारा दायर), 1017/2024 (राम शिरोमणि द्वारा दायर), 1018/2024 (बाउलाल द्वारा दायर), 1019/2024 (मोहम्मद अयूब द्वारा दायर) और 1228/2024 (अब्दुल्ला खना द्वारा दायर) से संबंधित धारा 175(3) बीएनएसएस (पूर्व में धारा 156(3) सीआर.पी.सी.) के तहत प्राधिकृत के सीजेएम के समक्ष लंबित मामलों में आवेदकों द्वारा एफआईआर दर्ज करने के लिए दायर आवेदन भी इस नियमित मामले यानी आर सी 0062024ए0026 में सीबीआई को स्थानांतरित कर दिए गए। उक्त रिट याचिका (7603 ऑफ 2024) याचिकाकर्ताओं बाबूलाल, दिनेश कुमार पांडे, मोहम्मद अयूब, अब्दुल्ला खान और राम शिरोमणि द्वारा दायर की गई है। जांच से पता चला कि अभियुक्त जयनाथ सरोज द्वारा अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर शिकायतकर्ताओं के सामान्य खातो से बनी एफ०डी० पर ओडी लोन करते हुए उनके धन को अपने अख्तियार में रखते हुए संपत्ति के विषय में आपराधिक न्यास भंग करके छल के प्रयोजन से उक्त रचित मिथ्या इलेक्ट्रानिक दस्तावेज बेईमानी से तैयार करे व अन्य ओडी० खातों में स्थानांतरित किए। इस प्रकार अभियुक्तगण द्वारा आपराधिक षड़यंत्र के तहत हेराफेरी करके भारतीय स्टेट बैंक में ग्राहकों के धन का गबन किया गया। अभियुक्तगण जयनाथ सरोज, दीपक वर्मा व अनुराग सचान के विरूद्ध उनके नियोक्ता/सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभियोग चलाये जाने की स्वीकृति भी प्रदान की गयी है, जो कि पत्रावलित है। सहअभियुक्त जय प्रकाश जो कि एक सरकारी कर्मचारी नहीं है, परिणामस्वरूप अभियुक्त के विरूद्ध उनके नियोक्ता/सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभियोग चलाये जाने की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

4. विवेचक द्वारा प्रस्तुत अभियोजन प्रपत्रों/दस्तावेजों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया उक्त तथ्यों की पुष्टि होती है।

5. माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली रेस क्लब (1940) लि० व अन्य बनाम उ०प्र राज्य, 2024 SCC OnLine SC 2248 में धारा 420 भा०दं०सं० और 406/409 भा०दं०सं० के बीच के अंतर को बहुत स्पष्ट रूप से बताया है। मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने निर्णय के पैरा–13 and 14 में यह अभिनिर्धारित किया है कि " *This Court has time and again reminded that summoning of an accused in a criminal case is a serious matter. Criminal law cannot be set into motion as a matter of course it is not that the complainant has to bring only two witnesses to support his allegations in the complaint to have the criminal law set into motion The order*

of the Magistrate summoning the accused must reflect that he has applied his mind to the facts of the case and the law applicable thereto He has to examine the nature of allegations made in the complaint and the evidence both oral and documentary in support thereof it is not that the Magistrate is a silent spectator at the time of recording of preliminary evidence before summoning of the accused The Magistrate has to carefully scrutinise the evidence brought on record and may even himself put questions to the complainant and his witnesses to elicit answers to find out the truthfulness of the allegations or otherwise and then examine if any offence is prima facie committed by all or any of the accused See Pepsi Foods Ltd v Special Judicial Magistrate, (1998) 5 SCC 7491. Where a jurisdiction is exercised on a complaint petition filed in terms of Section 156(3) or Section 200 of the CrPC, the Magistrate is required to apply his mind The Penal Code does not contain any provision for attaching vicarious liability on the part of the appellant Nos 2 and 3 respectively herein who are none other than office bearers of the appellant No 1 Company When the appellant No 1 is the Company and it is alleged that the company has committed the offence then there is no question of attributing vicarious liability to the office bearers of the Company so far as the offence of cheating or criminal breach of trust is concerned The office bearers could be arrayed as accused only if direct allegations are levelled against them in other words the complainant has to demonstrate that he has been cheated on account of criminal breach of trust or cheating or deception practiced by the office bearers The Magistrate failed to pose unto himself the correct question viz as to whether the complaint petition, even if given face value and taken to be correct in its entirety would lead to the conclusion that the appellant Nos 2 and 3 herein were personally liable for any offence. The appellant No. 1 is a body corporate Vicarious liability of the office bearers would arise provided any provision exists in that behalf in the statute Statutes indisputably must contain provision fixing such vicarious liabilities. Even for the said purpose, it is obligatory on the part of the complainant to make requisite allegations which would attract the provisions constituting vicarious liability. "

6. इस प्रकार मा० उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया गया है कि भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा **420**–धोखाधड़ी और बेईमानी से किसी को अपनी संपत्ति या कीमती सामान सौंपने के लिए प्रेरित करने से संबंधित है, जबकि धारा 406 आपराधिक विश्वासघात से संबंधित है। यदि कोई व्यक्ति किसी को सौंपी गई संपत्ति का गलत इस्तेमाल करता है या उसे हड़पता है तब वह धारा–406/409 की श्रेणी में आता है। अतः दोनों धाराओं के मूल तत्व बिल्कुल अलग हैं। एक ही तथ्य या लेनदेन पर ये दोनों धाराएं एक साथ लागू नहीं हो सकतीं, क्योंकि दोनों अपराध एक–दूसरे के विपरीत हैं।

7. अतः अभियुक्त जयनाथ सरोज के विरुद्ध धारा– 120–B, 465, 467, 468, 471, 409 भा०दं०सं० तथा धारा–13(2) सपठित धारा–13(1)(a) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित अधिनियम 2018), अभियुक्तगण दीपक वर्मा व अनुराग सचान के विरुद्ध धारा– 120–B सपठित धारा–465, 467, 468, 471, 409 भा०दं०सं० तथा धारा–13(2) सपठित धारा–13(1)(a) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित अधिनियम 2018) तथा अभियुक्त जय प्रकाश के विरुद्ध धारा– 120–B सपठित धारा–409 भा०दं०सं० तथा धारा–13(2) सपठित धारा–13(1)(a) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित अधिनियम 2018), थानाःसीबीआई/एसीबी, लखनऊ के अन्तर्गत वर्णित अपराध के संबंध में इस स्तर पर प्रथम दृष्टया प्रसंज्ञान लिये जाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है।

आदेश

अभियुक्त **जयनाथ सरोज** के विरुद्ध धारा–120–B, 465, 467, 468, 471, 409 भा०दं०सं० तथा धारा–13(2) सपठित धारा–13(1)(a) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित अधिनियम 2018), अभियुक्तगण **दीपक वर्मा व अनुराग सचान** के विरुद्ध धारा– 120–B सपठित धारा–465, 467, 468, 471, 409 भा०दं०सं० तथा धारा–13(2) सपठित धारा–13(1)(a) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित अधिनियम 2018) तथा अभियुक्त **जय प्रकाश** के विरुद्ध धारा– 120–B सपठित धारा–409 भा०दं०सं० तथा धारा–13(2) सपठित धारा–13(1)(a) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित अधिनियम 2018), थानाःसीबीआई/एसीबी, लखनऊ के अन्तर्गत वर्णित अपराध में प्रसंज्ञान लिया जाता है। वाद फौजदारी वाद के रूप में दर्ज रजिस्टर हो। तदानुसार अभियुक्तगण को उक्त मामले में परीक्षण हेतु आहूत किया जाता है। अभियुक्त जयनाथ सरोज जमानत पर है।

अभियुक्तगण को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 207 (धारा–230 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) के अन्तर्गत समस्त अभियोजन प्रपत्रों की नकले दिये जाने हेतु दिनांक–25/08/2026 नियत की जाती है। प्रकीर्ण वाद संख्या–4054/2025, तद्नुसार निस्तारित किया जाता है। सभी अभियुक्तगण नियत तिथि पर उपस्थित रहे।

दिनांक–07/08/2026

(मधु डोगरा)
विशेष न्यायाधीश, (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम)
सी0 बी0 आई 0, कोर्ट नं0–3, लखनऊ।

Digitally signed by MADHU DOGRA
Date: 2026.08.07 16:07:38 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court